(ggg/1625/nsh-rk)

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई पश्चिम) : सभापति महोदया, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) विधेयक, 1996 पर मैं अपने कुछ विचार यहां पर रखना चाहती हूं। सच पूछें तो यह बिल पुरानी सरकार द्वारा 1 दिसम्बर, 1995 को लाया गया था। लेकिन उसके पश्चात् भी हम इसे पारित नहीं कर पाए और आज इस पर चर्चा करके इसको अमल में लाना चाहते हैं। मैं यह चाहती हूं कि 'देर आयद दुरुस्त आयद' के हिसाब से भी इस बिल को तुरन्त पारित करके श्रमिकों के फायदे के लिए निश्चित रूप से कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। आने वाले अगस्त की 15 तारीख को आजादी की स्वर्ण जयन्ती के वर्ष में हम आगे जा रहे हैं। ऐसे स्वर्ण जयन्ती के महोत्सव पर हम अपने देश के श्रमिक कर्मचारियों को यदि एक भेंट दें तो मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा काम होगा। उन श्रमिकों में पुरुषों के साथ महिलाएं भी कई प्रकार का काम करती हैं। छोटे बच्चों से लेकर बूढे तक भवन निर्माण के कार्य से जुड़े रहते हैं। लेकिन आज तक महिला मजदूरों पर किसी ने योग्य प्रकार से ध्यान नहीं दिया। जहां कहीं भी बिल्डिंग बन रही होती है, वहां पर महिलाएं अपने छोटे-छोटे बच्चों को किसी पेड़ के नीचे झोली बनाकर उनमें रखकर सारा दिन मजदूरी करती रहती हैं। महिलाओं को मजबूरन यह काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उनमें ज्यादातर संख्या विधवा और परित्यक्ताओं की होती है। उन महिलाओं के बच्चों के लिए वहां पर किसी प्रकार के क्रचेज वगैरह की व्यवस्था नहीं होती। इतना ही नहीं, पीने के पानी, शौचालयों या फर्स्ट ऐड मेडिकल की भी व्यवस्था कभी उपलब्ध नहीं होती।

मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगी कि विदेशों में जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तब से लेकर बच्चे को जन्म देने के बाद भी उन्हें चाईल्ड केयर के लिए कम से कम चालीस दिन तक वेतन देकर भी छुट्टी दी जाती है। लेकिन हमारे गरीब हिन्दुस्तान में जब महिलाएं मजदूरी का काम करती हैं तो गर्भवती अवस्था में भी उनके पोषण के लिए, उनके आहार के लिए किसी भी प्रकार की चिन्ता नहीं की जाती। मैं चाहती हूं कि इस वैल्फेयर बोर्ड के माध्यम से गर्भवती स्त्री जब काम करती है तो उसकी चिकित्सा और आहार के लिए भी योग्य प्रकार की व्यवस्था हो तथा प्रसूति की जो छुट्टी उसे मिलनी चाहिए, वह भी वेतन के साथ प्राप्त हो। बच्चे की परवरिश करने के लिए कम से कम चालीस दिन तक उसे मजदूरी मिले ताकि वह अपने बच्चे और अपने जीवन को ठीक से संवार सके। इस प्रकार की योजना इस वैल्फेयर बोर्ड में लाने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानती हूं। साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगी कि मकान की कंसट्रक्शन का

काम बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। बड़ा उद्योग बनने के कारण इसमें प्राईवेट और पब्लिक सैक्टरों में अलग-अलग प्रकार से करोड़ों रुपये की लागत होती है। लेकिन इसके पश्चात् भी श्रमिकों को कुछ नहीं मिलता। यदि मैं यह बात कहूं तो इसके कई उदाहरण आपके सामने रख सकती हूं। हमारे मुम्बई शहर में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से घरकुरुस्ती महामंडल की स्थापना की गई है जिसमें पुराने मकानों की मरम्मत की जाती है। शासन के माध्यम से उन मकानों की रिपेयरिंग करने के लिए पैसा दिया जाता है। उसमें कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, उनको पैसा मिलता है लेकिन मजदूरों को नहीं मिलता। मुम्बई, दिल्ली में राज्य के बाहर से भी ऐसे कर्मचारी आते हैं जो वहां पर काम करके अपना पेट भरने और मजदूरी कमाने के लिए आते हैं। कई लोग गांवों में अपने परिवारों - पत्नी, माता-पिता बच्चों को छोड़कर आते हैं।

(hhh/1630/mkg/kmr)

और जब कभी वह ऐसे पुराने मकानों की मरम्मत का काम करते हैं, उस समय काम करते-करते बिल्डिंग का कोई भी भाग, हिस्सा टूटकर गिर जाय तो उसके नीचे उनके प्राण भी चले जाते हैं । लेकिन ऐसे समय पर सम्बन्धित कांट्रैक्टर लोग वहां पर पुलिस को बुलाकर गलत बातें लिखवाकर पंचनामा कराते हैं । जैसे कि यह कहा जाता है कि वह अपने आप गिरकर उसके नीचे दब गया । किसी भी प्रकार से 5-6 दिन तक उसके परिवार के स्वजनों को भी इन्फोर्म नहीं किया जाता और बताया तक नहीं जाता कि उनके स्वजन की यहां पर मृत्यु हो गई है, इस प्रकार का अन्याय उनपर होता है । जब उनके परिवार के लोग मुंबई या दिल्ली कभी आते हैं, तब तक सारा खेल खत्म हो चुका होता है । उनको कुछ मुआवजा तक भी योग्य प्रमाण में मिलता नहीं है, क्योंकि कानून इस प्रकार से बने हुए हैं कि जिसकी वजह से उनके परिवार के लोगों को, बच्चों को उसमें से कुछ अनुदान प्राप्त नहीं हो सकता । यह एक बहुत गम्भीर समस्या है ।

हम आज आजादी के 50 साल के बाद जब ऐसे बिल के ऊपर विचार कर रहे हैं तो मैं यह बात भी बताना चाहूंगी कि इन मजदूरों ने कभी अपनी आवाज ऊंची नहीं उठाई, कभी संगठित होने का प्रयास तक नहीं किया और दिन-रात, सुबह से लेकर रात तक कड़ी धूप में, पसीना बहाते हुए, बरसती हुई बारिश में काम करते हुए सिर्फ एक दिन की रोटी के लिए वह चिन्ता करते हैं । अपने भविष्य के स्वर्णिम स्वप्नों की तरफ वह कभी देखते नहीं हैं । ऐसी परिस्थिति में यदि यह बिल हम यहां पर पारित कर देते हैं तो मुझे यह कहना होगा कि ऐसी महिलाओं के बच्चों के लिए, ऐसे मजदूरों के बच्चों के लिए बोर्डिंग टाइप के स्कूल बनाए जाएं और वैसे स्कूलों में उनकी प्राथमिक और माध्यमिक

शिक्षा की व्यवस्था की जाय, ताकि उनको भी अच्छी शिक्षा प्राप्त होने के कारण वह देश के एक अच्छे नागरिक बन सकें ।

उसी के साथ-साथ इंश्योरेंस का, प्रोविडेंट फंड का प्रावधान होना चाहिए और निश्चित रूप से ऐसे मजदूरों के लिए 60 वर्ष के पश्चात् पेंशन योजना भी लागू कर दी जानी चाहिए, इसकी बहुत ही आवश्यकता है । उसके लिए कंस्ट्रक्शन कम्पनियों के माध्यम से धन जुटाना कोई अशक्य और असंभव बात नहीं है । वह संभव बात है । इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि उनके भविष्य के लिए भी इस प्रकार की योजना बनाने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानती हूं ।

आज जब हम नये मकानों में और नई बिल्डिंगों में बैठते हैं और आधुनिकतम सुविधाओं के साथ हर प्रकार के आराम को हम अनुभव करते हैं, लेकिन हर प्रकार के आराम को अनुभव करते हुए मैं यह बताना चाहूंगी कि उसकी मिट्टी, उसके अन्दर लगे हुए रोड़े, ईंटें, स्टील, यह सारी चीजें तो हमें याद रहती हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि श्रमिकों का पसीना भी इसमें मिला हुआ है । यह बात हमारे ध्यान से निश्चित रूप से निकल जाती है । हमारी संस्कृति में, हमारे देश में हमेशा ऐसा होता रहा है। निश्चित रूप से यदि आप ज्वैलरी की दुकान के ऊपर चले जाएं तो वहां ज्वैलरी में सोने की कीमत अधिक होती है, लेकिन स्वर्णकारों को उनके श्रम की कीमत कभी नहीं मिलती । उसी तरह से यदि मैं कहूं कि चीनी का कारखाना लगाने वालों को तो करोड़ों रुपया मिल सकता है, लेकिन गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को, मजदूरी करने वाले किसानों को और मजदूरों को उसका कोई पैसा नहीं मिलता । तीसरी तरफ अगर हम कहें कि कपड़े के दाम दिन-प्रतिदिन महंगे होते चले जा रहे हैं, कपड़ा महंगा हो रहा है, लेकिन उसके लिए श्रम करने वाले मजदूरों को, उसके श्रमिक के नाते महंगाई के रूप में कोई वेतन नहीं मिल रहा है । उसको हमेशा अपने काम की गारंटी भी नहीं होती है और कितने दिन वह काम पर रहेगा और कितने दिन उसको मजदूरी के ऊपर काम नहीं होगा, इस प्रकार की स्थिति आज इन श्रमिक मजदूरों की बनी हुई है ।

मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इस देश के अन्दर हम इन श्रमिकों को यदि ऊपर उठाना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार को बिल्कुल इच्छा-शक्ति के साथ इस बिल के प्रावधानों को लागू करना चाहिए, सिर्फ तुष्टीकरण करने के लिए बिल नहीं लाना चाहिए और उसका सारा धन कोई और लोग खा जाएं, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए । पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी ने भी इस प्रकार की बात कही थी कि मैं तो गरीबों को पैसा देना चाहता हूं, उनके लिए योजना बनाना चाहता हूं, लेकिन 100 रुपया अगर सरकार

प्रदान करती है तो उसमें से 15 प्रतिशत तक वहां पहुंचता है और बाकी का 85 प्रतिशत पैसा बीच में ही हजम हो जाता है । मैं यह कहना चाहूंगी कि इस बिल की वास्तविकता को देखकर, इस विधेयक की गरिमा को देखकर, श्रमिक के पसीने को ध्यान में रखकर यदि हम इस विधेयक के बारे में काम करना चाहते हैं तो इस प्रकार की कोई योजना हो कि जिससे बीच के लोगों को खाने का अवसर न हो ।

(jjj/1635/jr-spr)

न कि इस तरह से हो कि उनके पसीने की कमाई का जो पैसा है, उसका दुरुपयोग हो। अगर यह बिल इस विश्वास के बिना पास हो जाता है कि इस पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा, तब यह ऊपर-ऊपर से मरहम लगाने वाली बात ही होगी।

मैं कहना चाहती हूं कि जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं उनके अंदर श्रमिकों की मृत्यु होती है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन और रिकार्ड होना चाहिए। उसके आधार पर उनके परिवार वालों को, यदि वे वहां उपस्थित न हों तो उनको ढूंढकर उसकी पत्नी, बच्चे या बूढ़ी मां को मुआवजा दिया जाए, ऐसी व्यवस्था भी इसमें होनी चाहिए। अगर इस तरह से केन्द्र सरकार ने इस विधेयक को पारित किया तो राज्य सरकारों के माध्यम से भी इसकी योग्य व्यवस्था होकर इसके लिए नीचे के स्तर पर, तालुका स्तर पर श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए एक अच्छी योजना बनेगी।

यह जो विधेयक यहां लाया गया है इसमें काफी सुधारों की गुंजाइश है। उन सुधारों के अभाव में श्रमिकों तक पैसा पहुंचाने में यह कामयाब नहीं हो सकता। मैं सरकार से आश्वासन चाहती हूं कि श्रमिकों के लिए इस पैसे का और इस प्रकार की योजना का उपयोग होगा। ऐसा विश्वास दिलाकर ही इस विधेयक को पारित करेंगे तो यह एक अच्छी बात होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं।

(इति)